संख्या 86/2026/418/35-1-2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
राज्य नियोजन
राज्य नियोजन संस्थान(नवीन प्रभाग),
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में राज्य नियोजन संस्थान(नवीन प्रभाग) का राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 के दृष्टिगत में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं-092-अन्य कार्यालय-03 राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)" हेतु प्राविधानित धनराशि रू०- 2277.90 लाख (रुपए बाइस करोड़ सतहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु संलग्न तालिका के अनुसार आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विभिन्न मदो के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
3. उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थाई आदेशों के अंतर्गत शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

4. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 86/2026/418(1)/35-1-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. आहरण वितरण राज्य नियोजन संस्थान(नवीन प्रभाग) उ०प्र० लखनऊ ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से.
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या– 86/2026/418/35-1-2026 दिनांक: 21 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

(रूपये लाख में)

कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3
01	वेतन	1081.00
02	मजदूरी	2.00
03	मंहगाई भत्ता	702.65
04	यात्रा व्यय	3.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06	अन्य भत्ते	1.00
08	कार्यालय व्यय	10.00
09	विद्युत देय	50.00
10	जलकर/ जल प्रभार	11.00
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.00
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15.00
13	टेलीफोन पर व्यय	5.00
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	35.00
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	80.00
17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	11.00
18	प्रकाशन	5.00
29	अनुरक्षण	30.00
42	अन्य व्यय	16.00
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	1.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	30.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	15.00
49	चिकित्सा व्यय	40.00
51	वर्दी व्यय	0.25
55	मकान किराया भत्ता	80.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

58	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	45.00
	योग-	2277.90

(रुपए बाइस करोड़ सतहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।